GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CIVIL AVIATION
O/o DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION
OPP. SAFDARJUNG AIRPORT,
NEW DELHI – 110 003
TELEPHONE: 091-011-24622495/24622499/24640322

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय
सफदरजंग एयरपोर्ट के सामने
नई दिल्ली – ११०००३
दूरभाष: -०९१-०११-२४६२२४९५, ०११-२४६२२४९९

वेबसाइड:httt://dgca.nic.in
ई-मेल आई डी:e1sec.dgca@nic.in

मिसिल सं. E 139542
A-32012/6/2018-स्था-I
दिनांक : 16.11.2018

रिक्ति परिपत्र

विषय: नागर विमानन महानिदेशालय के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर आशुलिपिक ग्रेड-I के पदों को भरे जाने के संबंध में।

नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय, नई दिल्ली के निम्नलिखित क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्तर 6 (Rs 35400 – 112400) के वेतनमान में **आशुलिपिक ग्रेड I** (साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अनुसचिवीय) के 20 पदों की भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में (अनुलग्नक-क) आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

क्षेत्र	कार्यालय का नाम	प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने वाले पदों की संख्या
दिल्ली	उप महानिदेशक का कार्यालय, दिल्ली	4
	उप निदेशक उड़नयोग्यता का कार्यालय, लखनऊ	1
मुंबई	उप महानिदेशक का कार्यालय, मुंबई	5
	उप निदेशक उड़नयोग्यता का कार्यालय, भोपाल	1
कोलकाता	उप महानिदेशक का कार्यालय, कोलकाता	4
चेन्नई	उप महानिदेशक का कार्यालय, चेन्नई	2
	क्षेत्रीय नियंत्रक विमान सुरक्षा का कार्यालय, हैदराबाद	1
बैंगलौर	उप महानिदेशक का कार्यालय, बैंगलौर	2

2. उक्त पद के लिए **अर्हता/अनुभव** की अपेक्षाएं निम्नलिखित है:-

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन आशुलिपिक के पद को धारण करने वाले ऐसे अधिकारी:

(क)(i): जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं: या

(ii): जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 के पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित की है.

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी; जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया **तीन वर्ष** से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को **56 वर्ष** से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4: चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती डीजीसीए के किसी क्षेत्रीय या उप क्षेत्रीय कार्यालय में की जा सकेगी जो अपेक्षा/रिक्त पद पर निर्भर करेगी। हालाँकि, आवेदक पैरा 1 में उल्लिखित जिस क्षेत्र/कार्यालय में तैनाती चाहते हैं उस क्षेत्र (क्षेत्रों)/कार्यालय(कार्यालयों) की प्राथमिकता अनुलग्नक-क में इंगित कर सकते हैं।

टिप्पण 5: पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।

टिप्पण 6: पैरा 2 में उल्लिखित अर्हता/अनुभव प्राप्त व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के आवेदन को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया जायेगा।

3. जिन अधिकारियों ने उक्त पद के लिए आवेदन किया है, उन्हें बाद में अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल ऐसी सिफारिशें जो अनुलग्नक क में अपेक्षित वैयक्तिक आंकड़ों के साथ दी गई है, उन्हीं पर विचार किया जाएगा।

4. प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए चयनित अधिकारियों की निबंधन शर्तें और वेतन एवं भत्ते भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन सं.6/08/2009 (वेतन.II) और 17.02.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं.2/6/2016-स्था (वेतन-II) जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, में निहित उपबंधों के अनुसार अनुमत होंगे।

5. उन पात्र अधिकारियों जो इच्छुक हैं और चयन होने की दशा में जिन्हें कार्यमुक्त किया जा सकता है, के संबंध में विहित प्रपत्र (अनुलग्नक-क) में आवेदन भेजते समय आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी अवश्य भेजा जाएः-

(1) विहित प्रपत्र (अनुलग्नक-क) में आवेदन
(2) पिछले पांच वर्षों की अद्यतन वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट/वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एपीएआर/एसीआर डोजियर) की प्रतियां जो उस अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित हों जिसका ओहदा अवर सचिव से कम न हो।
(3) सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र
(4) सतर्कता निकासी जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि आवेदक के विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं है और न ही चलाए जाने का कोई विचार है।
(5) पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर लगाई गई छोटी/बड़ी शास्ति यदि कोई हो, की सूची।

6. उन पात्र और इच्छुक अधिकारियों जिन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता है, पैरा 5 में उल्लिखित जीवन-वृत्त (03 तीन प्रतियां) तथा अन्य दस्तावेज विहित प्रपत्र (अनुलग्नक-क) में यथोचित आधिकारिक प्रणाली द्वारा **स्था-I अनुभाग, ए ब्लॉक कार्यालय नागर विमानन महानिदेशालय, अरबिंदो मार्ग, सफदरजंग एयरपोर्ट के सामने, नई दिल्ली-110003** को भिजवाएं। भरा हुआ आवेदन पत्र रोजगार समाचार में विज्ञापन की तारीख से **60 दिन** के भीतर इस कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। अंतिम तारीख के पश्चात प्राप्त आवेदनों या अधूरे पाए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन भेजते समय, संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन (अनुलग्नक- क के अनुसार) अवश्य भेजा जाना चाहिए।

7. रिक्ति परिपत्र के अंग्रेजी और हिंदी प्रति में अन्तर होने की दशा में रिक्ति परिपत्र की अंग्रेजी भाषा विधिमान्य होगी।

संलग्नकः यथोक्त

(डी.एस रावत)
उप निदेशक प्रशासन
कृते महानिदेशक नागर विमानन

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. सभी राज्य सरकारों तथा सभी संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव
3. डीजीसीए मुख्यालय के सभी अनुभाग और केंद्रीय परीक्षा संगठन आर.के पुरम
4. नागर विमानन मंत्रालय (ध्यानाकर्षणः श्री कामेश्वर मिश्र, अवर सचिव)) राजीव गांधी भवन,नई दिल्ली-03 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भिजवाएं ताकि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के परिचालन के लिए इस परिपत्र को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके।
5. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (ध्यानाकर्षणः श्री कुमार राजेश चन्द्रा, महानिदेशक) जनपथ भवन, नई दिल्ली
6. डीजीसीए के सभी क्षेत्रीय प्रधान कार्यालय (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चैन्ने, बंगलौर)
7. नोटिस बोर्ड
8. डीजीसीए के वेबसाइट

जीवन-वृत्त प्रोफार्मा

1(क). क्षेत्र (क्षेत्रों)/कार्यालय(कार्यालयों) की प्राथमिकता	
1(ख). नाम और पता (साफ अक्षरों में)	
2. जन्म तिथि (ईसवी में)	
3. (I) सेवा में प्रवेश होने की तारीख	
(II) केंद्रीय/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति की तारीख	
4. शैक्षिक अर्हताएं	
5. क्या पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं पूरी करते हैं, (यदि किसी अर्हता को नियमों में निर्धारित अर्हता के समकक्ष माना गया है, तो उसके प्राधिकार का उल्लेख करें)	
विज्ञापन/रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित अर्हताएं/ अपेक्षित अनुभव	**अधिकारी द्वारा धारित अर्हताएं/ अनुभव**
केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन आशुलिपिक के पद को धारण करने वाले ऐसे अधिकारी: (क)(i): जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं: या (ii): जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 के पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित की है। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी; जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया **तीन वर्ष** से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3**: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को **56 वर्ष** से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती डीजीसीए के किसी क्षेत्रीय या उप क्षेत्रीय कार्यालय में की जा सकेगी जो अपेक्षा/रिक्त पद पर निर्भर करेगी। हालाँकि, आवेदक रिक्ति परिपत्र के पैरा 1 में उल्लिखित जिस क्षेत्र/कार्यालय में तैनाती चाहते हैं उस क्षेत्र (क्षेत्रों)/कार्यालय(कार्यालयों) की प्राथमिकता अनुलग्नक-क में इंगित कर सकते हैं। **टिप्पण 5:** पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। **टिप्पण 6:** रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित अर्हता/अनुभव प्राप्त व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के आवेदन को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया जायेगा।	

6. कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या ऊपर दी गई प्रविष्टियों के अनुसार आप उक्त पद की अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं और कार्य अनुभव पूरा करते हैं।	

7. रोजगार का क्रमवार विवरण। यदि नीचे दिया गया स्थान पर्याप्त नहीं हैं तो आप अपने हस्ताक्षर से विधिवत अधिप्रमाणित कागज अलग से संलग्न करें।

कार्यालय/संस्थान	नियमित आधार धारित पद	से	तक	*नियमित रूप से धारित पद पर वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	ड्यूटी की प्रकृति (आवेदन किए गए पद के लिए अपेक्षित अनुभव को दर्शाते हुए (विस्तार में)

महत्वपूर्णः एसीपी/एमएसीपी के अंतर्गत दिया गया वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अधिकारी का निजी हैं अतः उसका उल्लेख न करें केवल नियमित आधार पर धारित पद का वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान का ही उल्लेख करें। वर्तमान वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अभ्यर्थी द्वारा एसीपी/एमएसीपी जैसे उठाए गए लाभों के विवरण, निम्नानुसार दर्शाएः

कार्यालय/संस्थान	एसीपी/एमएसीपी योजना के तहत वेतन, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन	से	तक

8. वर्तमान नियोजन की प्रकृति, अर्थात तदर्थ या अस्थायीवत या स्थायी	
9.यदि वर्तमान नियोजन प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर धारण किए हैं तो कृपया यह बताएँ -	

क)प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख	ख)प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि	ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिसमें आप कार्यरत हैं।	घ) मूल संगठन में मूल क्षमता में धारित पद का नाम और वेतन

9.1 टिप्पणीः- यदि अधिकारी पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर है तो ऐसे अधिकारियों का आवेदन पत्र मूल संवर्ग/विभाग द्वारा संवर्ग निकासी, सतर्कता निकासी और सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र सहित अग्रेषित किया जाए।

9.2 टिप्पणीः- उपर्युक्त स्तंभ 9 (ग) और (घ) के अंतर्गत दी जाने वाली सूचना सभी मामलों में अवश्य दें जहां कोई अधिकारी संवर्ग/संगठन से बाहर प्रतिनियुक्ति पर किसी पद को धारण किए हों परंतु अभी तक अपने मूल संवर्ग/संगठन के लिए बनाए हो।

10. यदि आवेदक द्वारा पूर्व में प्रतिनियुक्ति पर कोई पद धारित किया गया है तो पूर्व प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने की तारीख और अन्य ब्यौरे दें।	
11. वर्तमान नियोजन के बारे में अतिरिक्त विवरण :- कृपया यह बताएं कि आप किसके अधीन कार्यरत हैं (संगत स्तंभ के सामने अपने नियोजक के नाम को दर्शाएँ):- (क) केंद्रीय सरकार (ख) राज्य सरकार (ग) संघ राज्य क्षेत्रों (घ) स्वशासी संगठन (ङ) सरकारी उपक्रम (च) विश्वविद्यालय (छ) अन्य	
12. कृपया यह बताएं कि क्या आप उसी विभाग में और उसी फीडर ग्रेड या फीडर से फीडर ग्रेड में कार्यरत है। उसी फीडर ग्रेड या फीडर से फीडर ग्रेड में कार्यरत हैं	
13. क्या आप पुनरीक्षित वेतनमान में हैं? यदि हां तो वह तारीख बताएं जब से वेतनमान पुनरीक्षित हुआ है और पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का भी उल्लेख करें।	

14. अब प्रतिमाह आहरित कुल परिलब्धियां

वेतन बैंड में मूल वेतन	ग्रेड वेतन	कुल परिलब्धियां

15. यदि आवेदक किसी ऐसे संगठन का हो जिसका वेतनमान केंद्रीय सरकार के अनुसार न हो तो उस संगठन द्वारा जारी अद्यतन वेतन स्लिप संलग्न करें।

वेतनमान सहित मूल वेतन तथा वेतन वृद्धि की दर	मंहगाई भत्ता/अंतरिम राहत/अन्य भत्ता आदि, (ब्यौरा सहित)	कुल परिलब्धियां

16. क. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसे आप उक्त पद की उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहे (अन्य चीजों में से यह सूचना निम्नलिखित से संबंधित हो सकती है, (i) अतिरिक्त शैक्षिक अर्हताएं (ii) प्रोफेशनल प्रशिक्षण (iii) रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में विहित से अधिक कार्य अनुभव) (टिप्पणः- यदि स्थान पर्याप्त न हो तो अलग से कागज संलग्न करें)	

16. ख. उपलब्धियाः- अभ्यर्थी निम्न के संबंध में सूचना दें:- (i) शोध प्रकाशन और रिपोर्टें तथा विशेष प्रोजेक्ट (ii) पुरस्कार/छात्रवृत्तियां/सरकारी सराहना पत्र (iii) व्यावसायिक निकायों/संस्थाओं/समितियों में संबद्धता; और (iv) अपने नाम पर दर्ज या संगठन द्वारा प्राप्त पेटेंट (v) ऐसा कोई अनुसंधान/अभिनव उपाय जिसे सरकारी मान्यता मिली हो। (vi) कोई अन्य सूचना (टिप्पण:- यदि स्थान पर्याप्त न हो, तो अलग से कागज संलग्न करें)	
17. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं	

मैंने रिक्त परिपत्र/विज्ञापन ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है एवं मैं इस बात से भलीभांति परिचित हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत जीवनवृत्त में शैक्षिक अर्हता/कार्य अनुभव के संबंध में समर्थित दस्तावेजों में दी गई सूचना का पद के चयन के समय चयन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना/ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही और सत्य है और मेरे चयन पर प्रभाव डालने वाले किसी भी तथ्य/सामग्री की छिपाया/छोड़ा नहीं गया है। यदि किसी समय मुझे यह पाया गया कि मैने किसी प्रतिकर प्राप्त सूचना में कोई बात छिपाई है/उसमें हेरफेर की है तो कोई नोटिस/प्रतिकर दिए बिना मेरी नियुक्ति सरकारी तौर पर समाप्त की जा सकेगी। साथ ही, मै यह वचन देता हूँ कि मै आवेदित पद के लिए अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं लूँगा।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

पता---------------------

तारीख-------------------

नियोजक/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन

उपर्युक्त आवेदन में आवेदक द्वारा दी गई जानकारी/विवरण रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सत्य और सही हैं। उसके पास रिक्त परिपत्रों में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है। चयन होने की स्थिति में उन्हें तुरंत कार्य मुक्त किया जा सकेगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि;

(i) श्री/श्रीमती .... के विरुद्ध कोई सतर्कता या अनुशासनिक मामला लंबित/अवेक्षित नहीं है।

(ii) उनका/उनकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे है।

(iii) उनका/उनकी मूल रूप में सी आर डोजियर संलग्न है/पिछले 5 वर्षों के एसीआर की फोटो प्रतियां, जो अवर सचिव, भारत सरकार या उनसे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित हैं, संलग्न हैं।

(iv) पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर कोई छोटी-बड़ी शास्ति नहीं लगाई गई है या पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर लगाई गई छोटी-बड़ी शास्तियों की एक सूची (जैसा भी मामला हो), संलग्न है।

प्रतिहस्ताक्षरित

....
(नियोजक/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी की मुहर)